न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 27/2019

धापो देवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बामणवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

प्रत्यार्थीगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 13/4/2012 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) अन्तर्गत धारा 75 एल.आर एक्ट

निर्णय दिनांक 3.2.2021

अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 360 वाके ग्राम बामणवास स्वीकृत दिनांक 13/4/2012 द्वारा तहसीलदार कोटूपतलती से व्यथित होकर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील निम्नभांति पेश की है।

1. यह है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 567/0.04, 568/0.12, 589/0.18, 590/0.07, 591/0.10, 592/0.12, 593/0.08, 594/0.11, 595/0.12, 596/0.19, 597/0.28, 598/0.24, 599/0.28, 600/0.12, 601/0.02, 602/0.02, 603/0.14, 604/0.11, 605/0.22, 606/0.12, 607/0.24, 608/0.70, 609/0.14, 610/0.19, 611/0.39, 612/0.20, 613/0.18, 614/0.42, 615/0.01, 616/0.27, 617/0.05, 618/0.34, 619/0.06, 620/0.03, 621/0.11, 625/2.06, 626/0.13 वाके मौजा बडाबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान के अपीलान्ट खातेदार काश्तकार काबिज है।
2. यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान् के बाबत एक वाद बउनवानी जम्मन बनाम हरलाल वगैरह मुकदमा नम्बर 99/1998 दिनांक 13/01/2020 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा खसरा नम्बर 624/4.84 वाके ग्राम बामणवास में से सभी सह खातेदारान् का नाम कलमजन कर केवल वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व शेष खसरा नम्बरान् में से वादी का नाम कलमजन करने बाबत आदेश प्रदान किये थे।
3. यह है कि मुताबिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 360 दर्ज करते समय लापरवाही पूर्वक न्यायालय सहायक कलक्टर आदेश के विरूद्ध खसरा नम्बर 624 के साथ अन्य खसरा नम्बरान् 567/0.04, 568/0.12, 589/0.18, 590/0.07, 591/0.10, 592/0.12, 593/0.08, 594/0.11, 595/0.12, 596/0.19, 597/0.28, 598/0.24, 599/0.28, 600/0.12, 601/0.02, 602/0.02, 603/0.14, 604/0.11, 605/0.22,

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

606/0.12, 607/0.24, 608/0.70, 609/0.14, 610/0.19, 611/0.39, 612/0.20, 613/0.18, 614/0.42, 615/0.01, 616/0.27, 617/0.05, 618/0.34, 619/0.06, 620/0.03, 621/0.11, 625/2.06, 626/0.13 वाके मौजा बामणवास मे से श्री [illegible] देवी बेवा कन्हैयालाल का नाम हजफ फरमा दिया गया तथा उसी के अनुरूप तहसीलदार कोटपूतली ने मनमाने तरीके से नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जिसका कानूनन कोई अधिकार नहीं था।

4. यह है कि अपीलान्ट लोन लेने बाबत हल्का पटवारी से अपने कागजात् जमाबंदी की नकल लेने गयी तो पटवारी हल्का ने कहा कि सहायक कलक्टर कोटपूतली की डिक्री से आपका नाम सभी खसरा नम्बरान् 567/0.04, 568/0.12, 589/0.18, 590/0.07, 591/0.10, 592/0.12, 593/0.08, 594/0.11, 595/0.12, 596/0.19, 597/0.28, 598/0.24, 599/0.28, 600/0.12, 601/0.02, 602/0.02, 603/0.14, 604/0.11, 605/0.22, 606/0.12, 607/0.24, 608/0.70, 609/0.14, 610/0.19, 611/0.39, 612/0.20, 613/0.18, 614/0.42, 615/0.01, 616/0.27, 617/0.05, 618/0.34, 619/0.06, 620/0.03, 621/0.11, 625/2.06, 626/0.13 वाके मौजा बामणवास से हट गया है। इस पर बिना देरी किये अपीलान्ट ने अपना वकील नियुक्त कर सहायक कलक्टर कोटपूतली के आदेश की नकल प्राप्त की तथा नामान्तरकरण संख्या 360 की नकल प्राप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश कर दी है, जिसकी सफलता की पुरी–पुरी आशा है फिर भी देरी माफी के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का संलग्न पत्रावली पेश किया जा रहा है।

5. यह है कि अपील उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है एवं श्रीमान् न्यायालय को श्रवणाधिकार हांसिल है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामा. सं. 360 वाके ग्राम बामणवास दिनांक 13/4/2012 स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिया जावे कि वह खसरा नम्बर 624 वाके ग्राम बामणवास तहसील कोटपूतली को छोडकर मुताबिक डिक्री सहायक कलक्टर कोटपूतली के निर्णय मुताबिक शेष खसरा नम्बरान् 567/0.04, 568/0.12, 589/0.18, 590/0.07, 591/0.10, 592/0.12, 593/0.08, 594/0.11, 595/0.12, 596/0.19, 597/0.28, 598/0.24, 599/0.28, 600/0.12, 601/0.02, 602/0.02, 603/0.14, 604/0.11, 605/0.22, 606/0.12, 607/0.24, 608/0.70, 609/0.14, 610/0.19, 611/0.39, 612/0.20, 613/0.18, 614/0.42, 615/0.01, 616/0.27, 617/0.05, 618/0.34, 619/0.06, 620/0.03, 621/0.11, 625/2.06, 626/0.13 वाके मौजा बामणवास में अपीलान्ट का नाम दर्ज कराने की कृपा करें।

6. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश करने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी रिपोर्ट समायत पायी जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये बाद तामील सम्मन नोटिस संलग्न पत्रावली किया गया ।

7. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपील में वर्णित खसरा नम्बरान् ग्राम बामणवास की

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

भूमि में अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां एवं वाद बाबत तकारमा स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 99/1998 जम्मन लाल बनाम हरलाल वगैरह विचाराधीन था, जिसमें वादी का वाद डिक्री कर आदेश हुये थे कि आ.ख.नं. 624/4.84 ग्राम बामणवास से अन्य खातेदारों/पक्षकारों का नाम हजफ कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने का आदेश दिया गया था तथा उक्त आ.ख.नं. 624/4.84 को छोडकर अपील में वर्णित खसरा नम्बरान् में वादी का नाम हज्फ कर डिक्री अन्य सहखातेदार/पक्षकारान् को खातेदारी घोषित कर डिक्री आदेश पारित किये थे। उक्त डिक्री की पालना में नामान्तरकरण भरते समय नामा. सं. 360 वाके ग्राम बामणवास तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली में अपीलान्ट का नाम तहसीलदार लापरवाही पूर्वक माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेश के विरूद्व ख.नं. 624 के साथ अन्य खसरा नम्बरान् वाके ग्राम बामणवास में से भी अपीलान्ट का नाम हजफ फरमा दिया, जिसका तहसीलदार कोटपूतली को कोई अधिकार नहीं था । अतः अपीलाधीन नामा. संख्या 360 वाके ग्राम बामणवास दिनांक 13/4/2012 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिया जावे f कवह ख.नं. 624 को छोडकर मुाबिक डिक्री सहायक कलक्टर कोटपूतली के निर्णय मुताबिक शेष ख.नं. 567/0.04, 568/0.12, 589/0.18, 590/0.07, 591/0.10, 592/0.12, 593/0. 08, 594/0.11, 595/0.12, 596/0.19, 597/0.28, 598/0.24, 599/0.28, 600/0.12, 601/0.02, 602/0.02, 603/0.14, 604/0.11, 605/0.22, 606/0.12, 607/0.24, 608/0.70, 609/0.14, 610/0.19, 611/0.39, 612/0.20, 613/0.18, 614/0.42, 615/0.01, 616/0.27, 617/0.05, 618/0.34, 619/0.06, 620/0.03, 621/0.11, 625/2.06, 626/0.13 वाके मौजा बामणवास में अपीलान्ट का नाम दर्ज फरमावें।

8. रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत बहस में कथन किया कि उक्त नामा. सं. 360 मुताबिक डिकी न्यायालय सहायक कलक्टर के आदेशों से दर्ज करते समय अपीलान्ट का मुताबिक डिकी आदेश सहवन से नाम छूट गया, जिसका दुरूस्त किया जाना उचित है।

9. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतों एवं सहायक कलक्टर द्वारा पारित डिक्री आदेशों का अवलोकन किया तथा अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 360 वाके ग्राम बामणवास न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के डिक्री आदेशों से भरा जाकर दिनांक 13/4/2012 को स्वीकार होना पाया जाता है। न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली द्वारा वाद संख्या 99/1998 ब उनवान जम्मन बनाम हरलाल वगैरह में वादी का वाद आदेश 13/01/2012 के द्वारा आ.ख.नं. 624 वाके ग्राम बामणवास अन्य सह खातेदारान्/पक्षकार का नाम हजफ किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश पारित हुए है तथा आ.ख.नं. 567/0.04, 568/0.12, 589/0.18, 590/0.07, 591/0.10, 592/0.12, 593/0.08, 594/0.11, 595/0.12, 596/0.19, 597/0.28, 598/0.24, 599/0.28, 600/0.12, 601/0.02, 602/0.02, 603/0.14, 604/0.11, 605/0.22, 606/0.12, 607/0.24, 608/0.70, 609/0.14, 610/0.19, 611/0.39, 612/0.20, 613/0.18, 614/0.42, 615/0.01, 616/0.27, 617/0.05, 618/0.34, 619/0.06, 620/0.03

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

621/0.11, 625/2.06, 626/0.13 की सह खातेदारी में से वादी का नाम कलम जन कर उनके स्थान पर अन्य सह खातेदारान्/पक्षकारान् को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित हुए है। न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली डिक्री आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरा जाकर दिनांक 13/4/2012 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 360 दर्ज करते समय पटवारी हल्का ने खाता संख्या 109 में अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया। तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण की बिना जांच किये ही उसे स्वीकार कर दिया, जबकि तहसीलदार कोटपूतली को राजस्व रिकॉर्ड एवं न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के द्वारा पारित डिक्री आदेश का अवलोकन कर उक्त नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए था।

चूँकि ग्राम बामणवास तहसील कोटपूतली नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 13/4/2012 को तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया है। उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा भरा गया है, जिसमें खाता संख्या 109 में अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना सहवन से छूट गया होना पाया गया। इसलिए ग्राम बामणवास के खाता संख्या 109 में अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड अंकन होना न्यायोचित उचित प्रतीत होता है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि नामान्तरकरण संख्या 360 वाके ग्राम बामणवास तहसील कोटपूतली स्वीकार दिनांक 13/4/2012 में अपीलान्ट का नाम खाता संख्या 109 में दर्ज नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेजात् सहायक कलक्टर कोटपूतली के निर्णय आदि का अवलोकन कर उसके आधार पर अपीलान्ट का नाम धापो देवी पत्नी स्व. कन्हैयालाल राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने की कार्यवाही करें।

11. यह निर्णय आज दिनांक 3.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)